न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 197/2017

उनवान
मु0अनिता वगै0 मु0 संजू देवी वगै0

1. मु. अनिता आयु 25 वर्ष पुत्री स्व. बनवारीलाल जाति धाबाई पेशा खेती व गृहकार्य निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल पत्नी सुभाष कुमार गुर्जर निवासी वार्ड नं. 1 गवारियों का मोहल्ला लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2. मु. विमला देवी आयु 40 वर्ष पुत्री स्व. बनवारीलाल जाति धाबाई पेशा खेती व गृहकार्य निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल पत्नी सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी नारी पोस्ट बारी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

3. मु. कमलेश आयु 33 वर्ष पुत्री स्व. बनवारीलाल जाति धाबाई पेशा खेती व गृहकार्य निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल पत्नी बालचन्द आवाना जाति गुर्जर निवासी जखोड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

4. मु. निर्मला आयु 30 वर्ष पुत्री स्व. बनवारीलाल जाति धाबाई पेशा खेती व गृहकार्य निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल पत्नी सीताराम आवाना जाति गुर्जर निवासी जखोड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

–वादीगण

बनाम

1. मु. संजू देवी आयु 28 वर्ष पत्नी स्व. राजेन्द्रसिंह जाति धाबाई निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं पीहर का पता संजू देवी पुत्री गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी देवड़ा स्कूल के पास फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

2. कुमारी नीतू सिंह आयु 5 वर्ष पुत्री स्व. राजेन्द्रसिंह नाबालिगान जरिए वली कुदरती माता मु. संजू देवी पत्नी स्व. राजेन्द्रसिंह जाति धाबाई निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

3. जितेन्द्रसिंह आयु 3 वर्ष पुत्री स्व. राजेन्द्रसिंह नाबालिगान जरिए वली कुदरती माता मु. संजू देवी पत्नी स्व. राजेन्द्रसिंह जाति धाबाई निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

4. मु. सुगना देवी आयु 60 वर्ष पत्नी स्व. बनवारीलाल जाति धाबाई निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

5. दयाराम आयु 42 वर्ष पुत्र गाड़ाराम जाति गुर्जर निवासी देहला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

6. रामशरण आयु 34 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़िढौर तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज.)।

7. उप–पंजीयक अधिकारी झुन्झुनूं।

8. धनश्याम आयु 35 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़िढौर तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज.)।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

9. सुरेश कुमार आयु 31 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़िढौर तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज.)।

10. सुरेन्द्रसिंह आयु 38 वर्ष पुत्र महावीरसिंह जाति जाट निवासी निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

—**प्रतिवादीगण**

उपस्थित अधिवक्ताः—

1. श्री धर्मपाल :— वादीगण की ओर से।
2. श्री रणजीत सिंह :— प्रतिवादी नम्बर 10 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी :— राज्य सरकार की ओर से।

वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांकः 25.08.2021**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील व जिला झुन्झुनू के राजस्व ग्राम अणगासर में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के मूल पुरूष मंगलाराम धाबाई थे। उक्त मंगलाराम का अर्सा करीब 60 वर्ष पूर्व देहान्त हो चूका है जिस पर इनके वारिसान में इसके दो पुत्र बनवारीलाल व भोपालराम पैदा हुए। उक्त बनवारीलाल का भी दिनांक 15 मई 2006 को देहान्त हुआ। जिस पर इसके वारिसान में इनकी पत्नी मु. सुगना देवी व इसकी चार पुत्री वादीगण सं. 1 लगायत 4 तथा एकमात्र पुत्र राजेन्द्रसिंह हुए। उक्त राजेन्द्रसिंह का भी अगस्त 2007 में देहान्त हाने पर इसके वारिसान में इसकी पत्नी मु. संजू देवी, पुत्र जितेन्द्रसिंह व पुत्री नीतूसिंह प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 है। उक्त नीतूसिंह व जितेन्द्रसिंह दोनों नाबालिग है और ये दोनों अपनी माता वली कुदरती मु. संजू देवी की संरक्षकता में है। प्रतिवादी सं. 5 दयाराम ग्राम देहला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा का निवासी है और प्रतिवादी सं. 6 रामशरण ग्राम ढ़िढ़ौर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज. का निवासी है जो कि वे दोनों वादग्रस्त भूमि में दोनों केता है और अजनबी है। उक्त स्व. मंगलाराम की खातेदारी की भूमि गत ख.नं. 102 की 12 बीघा 14 बिस्वा, गत ख.नं. 119 की 16 बीघा 8 बिस्वा ग्राम अणगासर ठिकाना मण्ड्रेला की सम्वत 1999 की है और उक्त मंगलाराम की मृत्यु के बाद में इसके पुत्र उक्त बनवारीलाल व भोपालराम को उत्तराधिकार स्वरूप बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 मिली। परन्तु सम्वत 2012 में उक्त आराजियात उक्त मंगलाराम के पुत्र भोपालराम की खातेदारी में जरिये इन्ताकाल सं. 17 के अकेले के नाम सहवन से राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती से दर्ज हो गई जबकि उक्त आराजियात पर काबिज काश्त शुरू से ही उक्त बनवारीलाल व भोपालराम बहिस्सा बराबर थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गत ख.नं 61 की 7 बिस्वा भूमि भी उक्त बनवारीलाल, भोपालराम के कब्जे में थी और इसकी भी खातेदारी गलती से उक्त भोपालराम के अकेले के नाम से दर्ज हो गई। सम्वत 2047 से 2050 के दौरान उक्त बनवारीलाल व उक्त भोपालराम की खातेदारी में उक्त आराजियात का वाहमी पारिवारिक बंटवारा बहिस्सा 1/2 का हुआ और जरिये इन्ताकल सं. 211 गत 18.11.1993 को उक्त बनवारीलाल पुत्र मंगलाराम धाबाई के हिस्सा व हक 1/2 में गत ख.नं. 102/1 की 6 बीघा 7 बिस्वा, गत ख.नं. 119/11 की 8 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 61 /1 की 3 बिस्वा कुल 14 बीघा और भोपालराम पुत्र मंगलाराम धाबाई की खातेदारी में गत ख.नं. 102/2 की 6 बीघा 7 बिस्वा, गत ख.नं. 119/2 की 8 बीघा 4 बिस्वा, गत ख.नं. 61

उपखण्ड अधिकारी

की 4 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा आई और इसी अनुसार उक्त दोनों भाईयों की खातेदारी उपरोक्तानुसार ही बहिस्सा बराबर अलग अलग दर्ज हो गई और इसी अनुसार काबिज काश्त हुए। उक्त आराजियात गत ख.नं. 102, 119, 61 की 14 बीघा 14 बिस्वा वर्णित धारा 3 वाद पत्र जिसके हाल ख.नं. क्रमशः 313 की 1.61 हैक्टर, ख.नं. 374 की 0.02 हैक्टर, ख.नं. 375 की 2.05 हैक्टर, ख.नं. 182/648 की 0.04 हैक्टर आराजियात नये भू-प्रबन्धक अभियान के तहत में कायम हुए और उक्त बनवारीलाल की मृत्यु दिनांक 15.05.2006 को होने पर उक्त आराजियात उनकी पत्नी मु. सुगना देवी व पुत्र राजेन्द्रसिंह ने मुकामी कर्मचारियों और अधिकारियों से साज करके जरिये इन्तकाल सं. 61 गत 28.09.2007 को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली और उक्त इन्तकाल की बाबत कब्जे काश्त कोई जांच नहीं की गई इसलिए उक्त इन्तकाल सं. 61 वादीगण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ प्रभावहीन व शून्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के उक्त भाई राजेन्द्रसिंह व उनकी माता प्रतिवादीनी सं. 4 श्रीमति सुगना देवी ने उक्त गलत इन्तकाल की आड़ में अवैध रूप से बिना अधिकार के वादग्रस्त आराजियात में ख.नं. 313 की 1.61 हैक्टर को गत 19.05.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 क्रमशः दयाराम पुत्र गाड़ाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम देहला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा की भूमि रकबा 1.07 हैक्टर व प्रतिवादी सं. 7 रामशरण पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़िढ़ौर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज. को भूमि ख.नं. 313 की बकाया 0.54 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी और तथाकथित विक्रय पत्र की आड़ में उक्त प्रतिवादीगण ने मुकामी कर्मचारियों से साज करके इन्तकाल सं. 51 दिनांक 27.05.2007 को पुर करवाकर और गत 20.06.2007 को तस्दीक करवा लिया जबकि उक्त दोनों विक्रेताओं को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। और यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त तथाकथित विक्रय पत्र व इन्तकाल की बाबत भी वादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही कब्जा काश्त की वास्वविक रिपोर्ट ही ली गई। इसलिए उक्त साजसी विक्रय पत्र व इन्तकाल वादीगण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ प्रभावहीन व शून्य (नल एण्ड वोईड) है और काबिले निरस्त है क्योंकि उक्त राजेन्द्रसिंह व प्रतिवादी सं. 4 सुगना देवी का उक्त वादग्रस्त आराजियात में हिस्सा प्रत्येक का 1/6 , 1/6 था और शेष हिस्सा वादीगण सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक का हिस्सा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 अपनी पैतृक सम्पति में है। उक्त राजेन्द्रसिंह की गत अगस्त 2007 में मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने पुनः मुकामी कर्मचारियों व अधिकारियों से साज कर व सरपंच ग्राम पंचायत आबूसर से साज कर गत 5.10.2007 को बिना वादीगण को सूचित किये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि की वास्तविक रिपोर्ट लिये तस्दीक करवा लिया जो कि वादीगण के खातेदारी अधिकारो के खिलाफ प्रभावहीन व शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण सं. 5 दयाराम ने अपनी अवैध रूप से क्रय की हुई भूमि ख.नं. 313 की 1.61 हैक्टर में से 1.07 हैक्टर बिना अधिपत्य व अधिकार के घनश्याम, सुरेश कुमार पुत्रगण भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढ़िढ़ोर तहसील बहरोड़ जिला अलवर को गत 27.07.2009 को विक्रय की जिसका उक्त क्रेताओं घनश्याम, सुरेश कुमार ने वादीगण को बिना सूचित किये व बिना पक्षकार बनाये गत 18.07.2009 को अपने नाम से नामान्तरकरण सं. 105 पुर करवाकर गत 28.07.2009 को स्वीकृति करवा लिया। तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 6 रामसरण ने अपने दोनों क्रेता भाईयों से साज कर गत 29.04.2010 को इन तीनों ने उक्त ख.नं. 313 की 1.61 हैक्टर मौजा अणगासर की बिना अधिपत्य व अधिकार की सुरेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति जाट निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं को विक्रय की जिस पर उक्त क्रेता ने भी अपने हक में नामान्तरकरण सं. 125 गत 30.04.2010 को ही मुकामी पटवारी हल्का से साज कर पुर करवा लिया व गत 03.05.2010 को भू अभिलेख निरीक्षक से औपचारिक रिपोर्ट करवाकर गत 05.05.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत अणगासर से साज करके सत्यापित करवा लिया। इस प्रकार उक्त वाद के गत 30.10.2009 से विचाराधीन रहते हुए उक्त विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 27.07.2009 व दिनांक 29.04.2010

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

सम्पति हस्तान्तरण की धारा 52 के प्रावधानों के खिलाफ दर्ज की है इसलिए उक्त दोनों विक्रय पत्र के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियात को हस्तान्तरण व इनकी धारावाहिकता में उक्त दोनों नामान्तरकरण सं. 105, 125 वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य (नल एण्ड वॉईड) है व काबिले निरस्त है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 4 के मन में बेईमानी आ गई है और उक्त वादग्रस्त भूमि की शेष भूमि को ग्राहक मिलते ही विक्रय कर खुर्द बुर्द करने के फिराक में है जबकि कानूनन उन्हे ऐसा करने को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त आराजियात को रहन, वेय, विक्रय ना करे और ना ही उक्त तथा कथित नामान्तरकरण व विक्रय पत्र की आड़ में कब्जे काश्त में दखल ना करे और इसलिए वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति न्यायालय में बनाये रखना आवश्यक है।

वादीगण की ओर से वादपत्र दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहते है:–

(क) वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री पारित किया जाकर घोषणा इस अमर की पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात ख.नं. 102/648 की 0.04 हैक्टर, ख.नं. 313 की 1.61 हैक्टर, ख.नं. 374 की 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ, ख.नं. 375 की 2.05 हैक्टर कुल रकबा 3.72 हैक्टर मौजा अणगासर तहत तहसील व जिला झुन्झुनू की खातेदारी में वादीगण सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक का हिस्सा 1/6 और प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 का हक व हिस्सा 1/6 और प्रतिवादी सं. 4 का भी हक व हिस्सा 1/6 शामिल में होने की डिक्री भी पारित की जावे और उक्त वादग्रस्त आराजियात की बाबत मु. सुगना देवी व राजेन्द्रसिंह के हक में निष्पादित इन्तकाल (नामान्तरकरण) सं. 61 तथा उक्त राजेन्द्रसिंह व मु. सुगना देवी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2007 बहक प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 व इसके आधार पर सत्यापित इंतकाल सं. 51 दिनांक 20.06.2007 को तथा प्रतिवादी सं. 5 दयाराम द्वारा प्रतिवादीगण सं. 8 , 9 क्रमशः घनश्याम, सुरेश व प्रतिवादी सं. 6 रामशरण के द्वारा प्रतिवादी सं. 10 सुरेन्द्रसिंह के हक में बिना अधिकार व अधिपत्य के सत्यापित दोनों विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 27.07.2009 व 29.04.2010 तथा इनकी धारावाहिकता में इनके दो इन्तकाल सं. 105, 125 वादीगण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ प्रभावहीन व शून्य घोषित किये जावे और वादीगण सं. 1 लगायत 4 का उक्त घोषणा के अनुसार खातेदारी में प्रत्येक का हिस्सा 1/6 दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 लगायत 10 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात ख.नं. 313, ख.नं. 374, ख.नं. 375 182/648 मौजा अणगासर की कुल 3.72 हैक्टर तहत तहसील व जिला झुन्झुनू की बाबत प्रतिवादी सं. 7 के कार्यालय में कोई विक्रय पत्र सत्यापित ना करावे तथा वादीगण सं. 1 लगायत 4 के प्रत्येक के हिस्सा 1/6 की शामिल खातेदारी की भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे और ना ही ऐसा अपने एजेंटो से करावे। वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे और प्रतिवादी सं. 7 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि की बाबत कोई हस्तान्तरण विलेख तस्दीक/पंजीयन ना करे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 से 3 व 4 व 10 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया व प्रतिवादी सं. 6 की जवाब देही बन्द की गई व प्रतिवादी सं. 5, 8, 9 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 21.08.2019 को 1 लगायत 4 तक कायमी तनकीयात निर्धारण की गई जो इस प्रकार से है।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

1. आया वाद वादपत्र की धारा 11 क व ख के अनुसार वाद डिक्री कराने का वादीगण अधिकारी है।

–भार वादीगण

2. आया वादीगण अपनी शामिल खातेदारी की बाबत प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने का अधिकारी है।

–भार वादीगण

3. आया वाद वादीगण कब्जा काश्त के अभाव में काबिले खारिज है।

–भार प्रतिवादीगण

4. अनुतोष

तत्पश्चात वादीगण ने साक्ष्य में स्वय पी. डब्लू 1 चीफ का शपथ पत्र वादिया मु. अनिता का पी. डब्लू 2 चीफ का शपथ पत्र मु. बिमला व पी. डब्लू 3 चीफ शपथ पत्र महेन्द्र कुमार के पेश किये है। शपथ पत्र पी. डब्लू 1 पर प्रतिवादी जिरह पूर्ण की गई। वादीगण/प्रतिवादीगण द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं कराना चाहने पर इनकी साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात दिनांक 15.06.2021 को वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 4 व 10 की ओर राजीनामा पेश कर न्यायहित में परूप्ट राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त आराजियात की डिक्री पारित किये जाने की आज्ञा दी जाने का निवेदन किया। हमने वाद पत्र में व जवाब देही में व राजीनामें में वर्णित दस्तों का व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड पी–1 से 13 का ध्यान पूर्व अवलोकन करते बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार नामान्तरकरण सं. 211 दिनांक 18.11.1993 से बनवारीलाल पुत्र मंगलाराम जाति धाबाई के नाम ख.नं. 102/9, 61/2, 1129/9, 8/5, 61/9 कुल किता 3 रकबा 1411/5 दर्ज रिकार्ड हुई। बनवारीलाल की मृत्यु होने पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण सुगनी देवी पत्नी बनवारीलाल, राजेन्द्रसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति धाबाई दर्ज रिकार्ड हुई। उक्त भूमि के नये ख.नं. 182/648 रकबा 0.04, 313 रकबा 1.61, 374 रकबा 0.02 व 375 रकबा 2.05 कुल किता 4 रकबा 3.72 हैक्टर बने खातेदार सुगनी देवी व राजेन्द्र सिंह ने ख.नं. 313 में से दयाराम पुत्र गाड़ाराम के 1.07 हैक्टर व रामकरण पुत्र भगवानाराम 0.54 हैक्टर दिनांक 19.05.2007 को विक्रय की गई। उक्त दयाराम ने उक्त भूमि घनश्याम, सुरेश कुमार पुत्र भगवानाराम गुर्जर को दिनांक 17.07.2009 को विक्रय की एवं घनश्याम, सुरेश कुमार एवं रामकरण ने उक्त भूमि सुरेन्द्र सिह पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी अणगासर को दिनांक 29.04.2010 को विक्रय की एवं वर्तमान में उक्त भूमि ख.नं. 313 रकबा 1.61 हैक्टर की खातेदारी सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। शेष भूमि ख.नं. 102/648, 374 व 375 कुल रकबा 3.11 हैक्टर की खातेदारी राजेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने पर सुगनी देवी पत्नी बनवारीलाल हिस्सा 1/2, संजू देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह, जितेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह व नीतूसिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 जाति धाबाई के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार बनवारीलाल की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण उसके पुत्र राजेन्द्र सिंह व पत्नी सुगना देवी के नाम 1/2, 1/2 दर्ज किया गया। जबकि बनवारीलाल की 4 पुत्रियां वादीगण अनीता, बिमला, कमलेश, निर्मला का नाम दर्ज नहीं किया गया। उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है जिसमें पुत्रियों का समान हिस्सा है। उक्त वाद में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 एवं 10 के मध्य दिनांक 15.06.2021 को पेश किया गया है। उक्त राजीनामे के अनुसार वादीगण ने भूमि ख.नं. 313 रकबा 1.61 हैक्टर प्रतिवादी नं. 10 के नाम दर्ज रहने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं प्रतिवादी नं. 4 ने शेष भूमि में से अपना नाम हटाने में सहमति प्रदान की गई है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 द्वारा अपने नोशनल हिस्से से अधिक भूमि का बेचान पूर्व में कर दिया गया है। वादीगण ने विक्रय की गई भूमि के अलावा शेष भूमि में राजस्व रिकार्ड दर्ज करने में सहमति जताई है। उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा सिद्ध होने पर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वाद वादीगण पूर्णतया सिद्ध होने पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम अणगासर की कृषि भूमि हाल ख.नं. 182/648 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 374 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 375 रकबा 2.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकाब 2.11 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक को 1/4–1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। ख.नं. 313 रकबा 1.61 हैक्टर मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादी नं. 10 के नाम बदस्तुर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। तदुनसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)